

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(87)न्याय/21

जयपुर, दिनांक 08.11.2021


श्री जितेन्द्र कुमार बैरड
वार्ड नं.-19, मिस्त्री मार्केट के पास
रावतसर, हनुमानगढ़
राजस्थान-335524

विषय:-कार्यग्रहण करने बाबत।

संदर्भ:-इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(11)न्याय/2018 दिनांक 27.09.2021 एवं आपके पत्र दिनांक 08.10.2021 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको इस विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 27.09.2021 द्वारा नियुक्त कर कार्यालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ में कनिष्ठ विधि अधिकारी के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया है। इस आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण कर इस विभाग को अवगत करावें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी जावेगी। नियुक्ति आदेश जारी हुए लगभग 1.5 माह का समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है अपितु नियुक्ति/पदस्थापन की समयावधि में चार-छह माह तक का विस्तारण (Extension) प्रदान करने का आग्रह किया जा रहा है।

आपके द्वारा दिये गये कारणों के आधार पर आपको कार्यग्रहण समयावधि में विस्तारण (Extension) नहीं दिया जा सकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप 7 दिवस में कार्यग्रहण कर इस विभाग को अविलम्ब अवगत करावें अन्यथा आपके नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।


(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव